

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला -बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक /1783/भू0अ0/स0अ0भू0अ03/2015

बिलासपुर दिनांक 7/X/2015


प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र
पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- रा.रा. क्रं.-200 (नया रा.रा. क्रं.-49) के बिलासपुर-रायगढ़-ओड़िसा सीमा तक का दो-लेन चौड़ीकरण मय पेव्हड शोल्डर निर्माण कार्य के अंतर्गत वन-भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

—0—


विषयांतर्गत ग्राम किरारी प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. सीपत तहसील मस्तुरी खसरा नं. 674/1 में कुल 1.99 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है, जिसके तहत वन भूमि के बदले राजस्व भूमि ग्राम खोरसी प0ह0नं0 30 रा0नि0मं0 मस्तुरी तहसील मस्तुरी के खसरा नं. 123/1 रकबा 15.217 हे. में से रकबा 1.99 हे. भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।


कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1784/भू0अ0/स0अ0भू0अ03/2015
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक 7/X/2015

01. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेंशन बाड़ा, रायपुर
02. अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. वनमंडलाधिकारी, वन मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. रा.रा. संभाग सह NHDP-PIU बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला -बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक /1787 /भू0अ0 /स0अ0भू0अ03 /2015

बिलासपुर दिनांक 7 /x /2015


// प्रमाण पत्र //

मुख्य अभियंता लो.नि.वि.राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 (नया रा.रा.क्रं 49) बिलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा तक का 2 लेन चौड़ीकरण पेव्हड शोल्डर सहित किये जाने हेतु उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ीकरण में प्रभावित राजस्व/वन भूमि पर आदिम जाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिपेक्ष्य में वाछित प्रमाण पत्र के संबंध में वन एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित राजस्व वन भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	ग्राम का नाम	तहसील	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण से प्रभावित राजस्व वन भूमि का विवरण			प्रभावित वन अधिकार धारक का नाम	प्रभावित रकबा
1	2	3	4			5	6
			खसरा नं.	वन का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)		
1	किरारी	मस्तुरी	674/1	छोटे झाड़ के जंगल / घास	1.99 हे0	निरंक	निरंक

प्रमाणित किया जाता है कि-


1. आवेदित राजस्व वन भूमि क्षेत्र में वन अधिकार पत्र का वितरण नहीं किया गया है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी/पी.ए.सी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (ई) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ-नं. -11-9/98-एफ-सी (पी.टी.) दिनांक 05.फरवरी 2013 के अनुसार विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.पी.जी/पी.ए.सी) के प्रभावित वन क्षेत्र के अलावा अन्य वन क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।
3. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।


 कलेक्टर
 जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1788 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ03 / 2015
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक 7 / X / 2015

01. क्षेत्रिय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेंशन बाड़ा, रायपुर
02. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.)
03. अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. वनमंडलाधिकारी, वन मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. रा.रा. संभाग सह NHDP-PIU बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर 07/10/15
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला -बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 1789 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ03 / 2015

बिलासपुर दिनांक 7/X / 2015

// प्रमाण पत्र //

मुख्य अभियंता लो.नि.वि.राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 (नया रा.रा.क्रं 49) बिलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा तक का 2 लेन चौड़ीकरण पेव्हड शोल्डर सहित किये जाने हेतु उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाले ग्राम किरारी के निम्नांकित अनुसूची 01 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अनुसूची क्रं - 01

क्र	ग्राम का नाम	खसरा नं.	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक रकबा	मद
1	किरारी	674/1	1.99 हेक्टेयर	छोटे झाड़ के जंगल / घास
	योग	674/1	1.99 हेक्टेयर	-


उपरोक्त अनुसूची-1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वन भूमि में से कालम 04 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं 200 (नया रा.रा.क्रं 49) निर्माण / चौड़ीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय कोई आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1790 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ03 / 2015
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक 7/X / 2015

01. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेंशन बाड़ा, रायपुर
02. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र पेंशन बाड़ा, रायपुर
03. अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. वनमंडलाधिकारी, वन मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. रा.रा. संभाग सह NHDP-PIU बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला -बिलासपुर (छ.ग.)


क्रमांक / 1785 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ03 / 2015

.. बिलासपुर दिनांक 7 / 10 / 2015

// प्रमाण पत्र //

मुख्य अभियंता लो.नि.वि.राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 (नया रा.रा.क्रं 49) बिलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा तक का 2 लेन चौड़ीकरण पेव्हड शोल्डर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर के 100-100 मीटर के क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व के स्थल का प्रमाण पत्र चाहा गया है।


राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त प्रमाण पत्र के अनुसार The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्रमाणित किया गया है कि बिलासपुर जिले के तहसील मस्तुरी के ग्राम गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं 200 (नया रा.रा.मार्ग क्रं 49) पर ग्राम ढेका, दर्दीघाट लावर भदौरा मोहतरा कोसमडीह जयरामनगर खुडूभाठा पाराघाट एवं किरारी से मार्ग के मध्य से दोनो ओर 100-100 मीटर की दूरी पर कोई भी ऐतिहासिक /पुरातत्व महत्व के स्थल स्थित नहीं है।


कलेक्टर 07/10/15
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1786 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ03 / 2015
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक 7 / 10 / 2015

01. क्षेत्रिय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेंशन बाड़ा, रायपुर
02. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र पेंशन बाड़ा, रायपुर
03. अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. वनमंडलाधिकारी, वन मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. रा.रा. संभाग सह NHDP-PIU बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)